FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान तहसीलदार बनाम रामवतार माली व अन्य किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136

मुकदमा नम्बर 657/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार की बहस सूनी गई। पेरोकार सरकार ने अपने प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 73/1, 73/4, 73/5 व 73/6 वाके ग्राम डांगरथल की तरमीम पूर्व में भू–सुधार की लट्ठा शीट में सही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी लेकिन DILRMP के दौरान तरमीम ऑनलाईन करते समय संहवन से गलत दर्ज हो गई है जिसको शुद्ध करवाने हेतु समस्त खातेदारान की ओर से प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच रिपोर्ट पटवार हल्का डांगरथल एवं भू.अ.नि. डांगरथल से प्राप्त की गई। तदुपरान्त DILRMP में हुई अशुद्धी को शुद्ध करवाने हेतु नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित कर, सम्बन्धित दस्तावेजात के साथ श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थीगण के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 73/1, 73/4, 73/5 व 73/6 वाके ग्राम डांगरथल की तरमीम पूर्व में भू–सुधार की लट्ठा शीट अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में सहमती पत्र भी पेश किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार निवाई से प्राप्त प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पटवार हल्का/भू.अ.नि. डांगरथल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का डांगरथल एवं भू.अ.नि. डांगरथल की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 73/1, 73/4, 73/5 व 73/6 वाके ग्रामं डांगरथल की तरमीम भू–सुधार शीट अनुसार संलग्न प्रस्तावित नक्शा–ट्रेस अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)